उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-7

निर्वाचन वाद

50-(1) किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन निर्वाचन वाद प्रस्तुत किया जा सकता है- जो निम्नानुसार अभिदिष्ट किया जायेगा-

(क) प्रारम्भिक एवं केन्द्रीय/ जनपद स्तरीय समितियों की दशा में सम्बन्धित जिला मजिस्टे्ट को जो प्रारम्भिक सहकारी समिति की दशा में विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन परगनाधिकारियों में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है और केन्द्रीय सहकारी समितियों की दशा में जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप मंे कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(ख) किसी राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में आयोग को किया जायेगा, जो विवाद का निर्णय स्वयं अथवा किसी निर्वाचन आयुक्त को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सिवाय निम्नलिखित आधार के मध्यस्थ द्वारा या अन्यथा रूप से आपत्ति नहीं की जा सकेगी-

(क) निर्वाचन में भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव का प्रयोग होने के कारण वह निर्वाचन निष्पक्ष नहीं हुआ है, या

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर निम्नलिखित कारणों से सारवान् प्रभाव पड़ा होः-

(1)- किसी नाम-निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने, या अस्वीकार करने के द्वारा, या

(2)- मत को अनुचित रूप से ग्रहण करने या ग्रहण करने से इन्कार करने या रद्द करने के द्वारा, या

(3)- अधिनियम या नियमावली या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने में घोर चूक करने के द्वारा।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार, रिश्वत् या अनुचित प्रभाव के वही अर्थ हांेगे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अधीन प्रत्येक के लिए दिये गये हैं।

(4) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई भी वाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 45 दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(5) नियमावली में किसी अन्य बात के होते हुए भी निर्वाचन वाद दाखिल करने वाले वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत् किये गये लेखा शीर्षक मंे निम्नवत् शुल्क जमा कर मूल रसीद वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगीः-

क- प्रारम्भिक सहकारी सहकारी समितियों की स्थिति में-रू0 एक हजार

ख- जनपद/ केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में-रू0 दो हजार

ग- राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में-रू0 पांच हजार

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्क की रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।का पालन करने के लिए यथा आवश्यक कार्रवाई करेगा।